रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

विवरण

रेलवे के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार तथा अग्रिम वेतन वृद्धियों और बिना बारी के पदोन्नतियों के रूप में प्रोत्साहन दिये जाते हैं। सामान्यत: बिना बारी के पदोन्नतियां उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दी जाती ह जो (क) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गये हों तथा (ख) जिन्होंने अन्य खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेलों का 3 बार प्रतिनिधित्व किया हो तथा प्रशंसनीय खेल प्रदर्शन किया हो। खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में अवसर-चनात्मक तथा उपस्कर सम्बन्धी सहायता, प्रशिक्षण, अभ्यास के लिए समय, विशेष खुराक, खेल सम्बन्धी किटें, पहले दर्जे में यात्रा, प्रशिक्षण के लिए अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता आदि दिया जाना शामिल है।

उन रेल कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाते हैं जिनका स्काउटों और गाइडों के रूप में सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्रों में विशेष योगदान देते हैं। उन्हें सामाजिक सेवा तथा राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित गतिविधियों में भाग लेने के लिए मुफ्त पास भी दिये जाते हैं। इसके अलावा सास्कृतिक गति-विधियों और स्काउटों तथा गाइडों के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत रेलों में हर वर्ष अराजपत्रित पदों पर भर्ती करने का प्रावधान भी है।

रेल कर्मचारियों के ऐसे संगठनों और एसोसिएशनों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो रेल कर्मचारियों को साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उन रेल कर्मचारियों को भी पुरस्कार दिये जाते हैं जो कुछ साहित्यिक कार्य करते हैं।

भारत वर्ष में रेल पुल

2356. **कुमारी सईदा खातून :**
श्रीमती सत्या बहिन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे भारतवर्ष में कितने रेलवे पुल हैं;

(ख) 20 वर्ष से पुराने कितने पुल हैं;

(ग) क्या इन पुलों की मरम्मत की जा रही है या उन्हें नया रूप दिया जा रहा है; और

(घ) इन पुलों की आयु कितनी अवधि तक मानी गयी है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) भारतीय रेलों पर लगभग 1.14 लाख पुल हैं।

(ख) ऐसे पुलों की संख्या लगभग 1.06 लाख है।

(ग) सभी रेलवे पुलों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है और जैसा आवश्यक समझा जाता है उनकी मरम्मत या पुनर्स्थापना की जाती है।

(घ) पुलों की कोई निश्चित आयु अवधि नहीं होती। उनका पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण सुदृढ़ता के आधार पर और/या उनकी दशा के आधार पर किया जाता है।

संगीत महाविद्यालयों के लिये अनुदान

2357. **कुमारी सईदा खातून :**
श्रीमती सत्या बहिन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय, संगीत के राज्यवार, कितने-कितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं;

(ख) इनमें से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कितने हैं तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालय कितने हैं ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने का विचार रखती है जिन्हें इस समय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) देश में इस समय 39 संगीत कालेज और एक संगीत विश्वविद्यालय है। उनके विषय में राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (नीचे देखिए)

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा (2)(च) के अन्तर्गत 13 संगीत कालेजों को मान्यता प्रदान की गई है और जिनमें से 12 कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा (12) (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं।

(ग) केवल उन्हीं कालेजों को आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई है और सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं। आयोग केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये उपयुक्त घोषित करने के लिए कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करता है, यदि वे इस संबंध में पात्रता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हों।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संगीत कालेजों की संख्या	संगीत विश्वविद्यालयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश .	2	—
2.	असम .	1	—
3.	कर्नाटक .	1	—
4.	मध्य प्रदेश .	28	1
5.	महाराष्ट्र .	1	—
6.	उड़ीसा .	1	—
7.	तमिलनाडु .	1	—
8.	त्रिपुरा .	1	—
9.	पश्चिमबंगाल .	3	—
	कुल .	39	1

Action against principals of Kendriya Vidyalayas

2358. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM:

SHRI CHATURANAN MISHRA;

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many charges of mal-administration and corruption have been levelled against principals of Kendriya Vidyalaya of Jammu No. 1, Gorakhpur, Gwalior No, 1, and Bharatpur;

(b) if so, what are the details thereof; and